न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जगदीश ......बनाम...... रामेश्वर मु.नं.– 29/22 किस्म – ए.ए.	

वास्ते आदेश प्रा.पत्र ए.ए. दिनांक 09.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.01.26 को पेश हो।

08.1.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूलवाद के साथ नत्थी हो। विस्तृत फैसला अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
29/2022	20.05.2022	08.01.2026

बउनवान

1. जगदीश पुत्र कमल्या, निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा, हाल निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..**प्रार्थी / वादी**

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र बच्चीलाल, निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. रामसिंह पुत्र बच्चीलाल, निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. झबलू पुत्र बच्चीलाल, निवासी अलीपुर तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
4. उपपंजीयक बैजूपाडा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।

..**अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री विश्राम दयाल कुम्हार
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 – श्री लीलाराम मीना

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. नया 134 पुराना 127 के खसरा सं. 102, 103 कुल किता 2 कुल रकबा 0.97 हैक्टे. ग्राम अलीपुर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवम अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 व प्रतिवादीगण सं. 4 लगा. 9 की सम्मलित कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि है जिसमें दावे के प्रतिवादी सं. 4 व 5 के पिता चिरंजी का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/20 वां हिस्सा है। विवादित आराजीयात जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हुआ है जिसको मौके पर बांट रखा है तथा प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है लेकिन भूमि का तकास्मा नही होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो जाता है। ऐसी सूरत में विवादित आराजीयात का कब्जे के अनुसार रास्ते कायम करते हुये सरस नरस के अनुसार कब्जे के अनुसार तकास्मा किया जाकर प्रार्थी के हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम किया जाकर अलग अलग पासबुके जारी की जावे। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 विवादित आराजीयात में प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर जबरिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अतिक्रमण करते हुये खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर सख्स को रहन व बय करने पर आमादा है तथा कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे है कि हम हर सूरत में प्रार्थी के हिस्से मे आयी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके रहेगे तथा कब्जा करके ऐसे लोगों को बेचान करके रहेंगे जो कि लाठी के जोर पर प्रार्थी को बेदखल कर देगे । प्रार्थी को उसकी भूमि में काश्त नहीं करने देंगे। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा प्रार्थी से आये दिन झगडा फिसाद करते रहते है। दिनांक 15.05.2022 को प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण ने पत्थर बजरी डालना नींव खोदना शुरू कर दिया तथा अपने साथ कई लोगो को लेकर आये तथा प्रार्थी के खेतो को बेचान करने की बाबत बातचीत करने लगे व दिखाने लगे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि अब हम प्रार्थी के खेतो को बेच कर रहेगे तथा प्रार्थी के खेतो में जबरन कब्जा करके निर्माण करने की धमकी दी कि हम अब तुम्हारे खेतो में ही जबरन निर्माण करके रहेगे दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे बेदखल करके रहेगे काश्त नहीं करने देगे तथा खेतो पर आये तो प्रार्थी के खिलाफ झूठे केस करके जेल में बंद करवा देंगे तथा प्रार्थी को जान से मार देगे। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकास्मा करवालो। फिर आप अपने हिस्से की पर चाहे निर्माण करो या भूमि को बेचान कर देना तो अप्रार्थीगण तकास्मा करवाने से भी साफ इंकार हो गये। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगे ऐसी सूरत में सिवाय दावा हाजा के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के उक्त विवादित आराजीयात का जब तक कब्जे व मौके के अनुसार रास्ते कायम करते हुये सरस नरस के अनुसार विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी भी प्रकार का मजाहमत पैदा करने से, खाम व पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने से, प्रार्थी को फसल बोते व काटते समय झगडा फिसाद करने से तथा प्रार्थी की भूमि में उगे हुये पेड पोधो को खोदने से काटने से, किसी दीगर सख्स को रहन बय करने से एव अप्रार्थी सं. 10 विवादित आराजीयात की बाबत अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा, बयनामा आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी पंजीयन करने से व बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार तब्दीली करने से पाबंद रहें ।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित आरोपों का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्व वाद पत्र के जरिये प्रार्थी/वादी द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 08.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)